


Handwritten signature/initials in blue ink at the top left corner.



दिनांक 12/07/2021

दिनांक 12/07/2021

अब से के साथ नामान्तरण

दिनांक 12/07/2021

सर्वसाधारण सभना का नामान्तरण प्रविष्टन प्राप्त है। क्षत्रिय कर्मचारी / अ/न. से आवेदित भीम  
 से करने हेतु अनुरोध किया है।  
 परमाणु परमाणु आधार पर माल गजारी वर्सो हेतु दाखिल खारिज स्वीकृत।  
 के साथ अनुरोध में अधीन किया जा

पिता	
पति	आशुभावाक का नाम

725 दिनांक MIM d yyyy के द्वारा आवेदक

पिता	RAMNARAYAN SINGH
पति	आशुभावाक का नाम

रकबा	0 एकड़, 500 वर्गफीट, 0 हैक्टर
रकबा	TPP 1172

क्षत्रिय कर्मचारी से अबल निरीक्षक के माध्यम से प्रविष्टन

आदेश पर की गई कारवाही

### आदेश

दिनांक 14 Nov 2021  
 आदेश पर की गई कारवाही

आपने आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदन जमीन मीजा स्थामांज थाना देवघर

खता	प्लॉट	रकबा
31/3195	TPP 1172	0 एकड़, 1.39 डिसेमील, 0 हेक्टर

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
KUMAR RAVI	पिता	THAKUR PRASAD SINGH

हे जिन्होंने निवाचित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 194 दिनांक M M M d yyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीखत

देयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
कुमार रवी साह दीगर	पिता	

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किस्ती ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अ/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि असर्वोक्षित वसूली सत्व की है जिस पर आवेदक निवाचित विक्रय पत्र संख्या 194 दिनांक 04/03/2021 द्वारा कय कर मकान के रूप में दखलकार है। अतः दखल एवं दलील के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निवाचित विक्रय पत्र संख्या 194 दिनांक 04/03/2021 तथा दखल के पर नामान्तरण वाद स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। इस आदेश के विरुद्ध संक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान 50 रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
 MOTILAL HEMBRAM  
 अंचलनिरीक्षक देवघर

FOR THE LABRANT  
 8/26/21

Rupam Singh

# आदेश

दिनांक  
Apr 9 2020

आदेश पर की गई कारवाही

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षत्रिय कर्मचारी ने अवल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मीजा ब्यामजि धना देवधर

खता	प्लॉट	रकबा
31/3/195	TTP 1172	0 एकड़, 700 वर्गफीट, 0हेक्टर

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
KUMAR RAVI	पिता	THAKUR PRASAD SINGH

हे जिन्होंने निवाचित विक्री, विक्री-केवाला संख्या 411 दिनांक M M M d yyy के द्वारा आवेदक को विक्री किए है। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

देयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
कुमार रवी साह दीगर	पिता	


वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षत्रिय कर्मचारी / अ/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुरोध किया है। रा कर्म / अ/नि जांच प्रतिवेदन आधार पर मात गजारी वसूली हेतु दाखिल खरिज स्वीकृत। यह आदेश पूर्णतः अभीष्ट है, इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायलय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान 30रुपये

अलावे सेस के साथ नामान्तरण किया जाता है।

शीर्ष पर हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
ANIL KUMAR SINGH  
अवलगाधिकारी देवधर



1/1  
Rupam Singh